Set apart

D

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क0एफ.4(78)सिवायचक/नियमन/विधि/पंरा/2017/1104 जयपुर,दि0 03-10-2017

जिला कलेक्टर,
समस्त, राजस्थान ।

विषयः– ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों के पट्टे दिये जाने बाबत ।
प्रसंगः– राजस्व विभाग का परिपत्र प.9(6)राज–6/2000/10 दिनांक 07.9.2017 एवं पंचायती राज विभाग का पत्र क0एफ.4(78) सिवायचक/नियमन/विधि/पंरा/2017/1102 दिनांक 15.9.2017 ।

राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि आबादी के विकास हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के धारा–92 के तहत सेट अपार्ट की जाने वाली भूमि में से जिस सिवायचक भूमि का उपयोग कर लिया है उस भूमि को भी आबादी के विकास हेतु ग्राम पंचायत को आरक्षित एवं आवंटित कर दिया जाये तथा ग्राम पंचायत द्वारा अपने नियमों के अन्तर्गत ऐसे अतिक्रमियों से राशि लेकर आबादी भूमि के पट्टे जारी किये जा सकते हैं । इस सम्बन्ध में कार्रवाई किये जाने हेतु राजस्व एवं पंचायती राज विभाग द्वारा प्रासंगिक परिपत्र द्वारा जारी किये जा चुके हैं। उक्त दोनों परिपत्रों की प्रतियां सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न प्रेषित हैं ।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि अभी तक इस सम्बन्ध में आप द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई है । इस सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं:–

1. ग्राम पंचायत स्तर पर सम्बन्धित ग्राम सेवक एवं पटवारी दोनों के द्वारा राजस्व विभाग के परिपत्र प.9(6)राज–6/2000/10 दिनांक 07.9.2017 में वर्णित (विधि द्वारा वर्जित/प्रतिबंधित श्रेणी/सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि को छोड कर) भूमि पर बसे मकानों का जहां रहवासी दिनांक 01.1.2017 से पूर्व मकान बना कर रह रहे हैं, का संयुक्त सर्वे किया जायेगा। सर्वे के अनुसार सूची तैयार करेंगे तथा सूची के साथ उस व्यक्ति के दिनांक 01.1.2017 से पूर्व रहने के प्रमाणीकरण हेतु राशन कार्ड, वोटर आईडी, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड

बिजली / पानी / टेलीफोन बिल में से कोई एक दस्तावेज़ जिस पर मकान का पता वर्णित हो, संलग्न करेंगे । उपरोक्तानुसार सर्वे उपरांत तैयार की गई सूची ग्रामसेवक एवं पटवारी दोनों के हस्ताक्षर कर, सम्बन्धित तहसीलदार को प्रस्तुत की जायेगी ।

2. सर्वे के दौरान यह ध्यान रखा जाये कि जहां ग्राम की वर्तमान आबादी भूमि से जुड़ी हुई सिवायचक भूमि पर मकान बने हों, उन्हें सेटअपार्ट हेतु सर्वे में सम्मिलित किया जाये । इससे अन्यत्र ऐसी सिवायचक भूमि जहां पर मकान बिखरे / छितरे हुए हों ऐसी सिवायचक भूमि पर कम से कम पांच मकान बने होने पर ही उन्हें सर्वे मे सम्मिलित किया जाये, इससे कम मकान होने की स्थिति में उन्हें सर्वे में सम्मिलित नहीं किया जाये। यह कार्यवाही 15 दिवस में आवश्यक रूप से पूर्ण कर ली जाये ।

3. तहसीलदार द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त सूची पर राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 07.09.2017 के बिन्दु सं01 सूची में खसरा नम्बर एवं अतिक्रमित कर निर्मित आवासगृहों का क्षेत्रफल एवं नजरी नक्शें की प्रति जिसमें आवागमन हेतु रास्ते दर्शाये गये हों सहित सेटअपार्ट के प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी को भिजवाये जायेंगे ।

4. उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर सक्षम स्तर से सेटअपार्ट करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

5. सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा उपरोक्तानुसार सेटअपार्ट की गई भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में आबादी भूमि के रूप में ग्राम पंचायत के नाम दर्ज किया जाकर जमाबन्दी की प्रति सहित विकास अधिकारी को प्रेषित की जायेगी ।

6. विकास अधिकारी का यह दायित्व होगा कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम–165 की पालना करवाते हुए, सम्बन्धित रहवासियों को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे । राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 165(4) में अतिक्रमणों का विनियमन कर आवंटन करने का प्रावधान इस प्रकार से है

बिजली/पानी/टेलीफोन बिल में से कोई एक दस्तावेज़ जिस पर मकान का पता वर्णित हो, संलग्न करेंगे । उपरोक्तानुसार सर्वे उपरांत तैयार की गई सूची ग्रामसेवक एवं पटवारी दोनों के हस्ताक्षर कर, सम्बन्धित तहसीलदार को प्रस्तुत की जायेगी ।

2. सर्वे के दौरान यह ध्यान रखा जाये कि जहां ग्राम की वर्तमान आबादी भूमि से जुड़ी हुई सिवायचक भूमि पर मकान बने हों, उन्हें सेटअपार्ट हेतु सर्वे में सम्मिलित किया जाये । इससे अन्यत्र ऐसी सिवायचक भूमि जहां पर मकान बिखरे/छितरे हुए हों ऐसी सिवायचक भूमि पर कम से कम पांच मकान बने होने पर ही उन्हें सर्वे मे सम्मिलित किया जाये, इससे कम मकान होने की स्थिति में उन्हें सर्वे में सम्मिलित नही किया जाये। यह कार्यवाही 15 दिवस में आवश्यक रूप से पूर्ण कर ली जाये ।

3. तहसीलदार द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त सूची पर राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 07.09.2017 के बिन्दु सं01 सूची में खसरा नम्बर एवं अतिक्रमित कर निर्मित आवासगृहों का क्षेत्रफल एवं नजरी नक्शें की प्रति जिसमें आवागमन हेतु रास्ते दर्शाये गये हो सहित सेटअपार्ट के प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी को भिजवाये जायेंगे ।

4. उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर सक्षम स्तर से सेटअपार्ट करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

5. सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा उपरोक्तानुसार सेटअपार्ट की गई भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में आबादी भूमि के रूप में ग्राम पंचायत के नाम दर्ज किया जाकर जमाबन्दी की प्रति सहित विकास अधिकारी को प्रेषित की जायेगी ।

6. विकास अधिकारी का यह दायित्व होगा कि राजस्थान पचायती राज नियम, 1996 के नियम–165 की पालना करवाते हुए, सम्बन्धित रहवासियों को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे । राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 165(4) में अतिक्रमणों का विनियमन कर आवंटन करने का प्रावधान इस प्रकार से है

165. पंचायत भूमि पर के अतिचारियों का सर्वेक्षण और अतिक्रमणों का हटाया जाना (4) यदि पंचायत की यह राय हो कि यदि ऐसे अतिचार का विनियम कर दिये जाने से नियम 146 में उल्लिखित शर्तों का अतिक्रमण नहीं होगा तो वह अतिचारी भूमि को बाजार कीमत पर आवंटित करने का विनिश्चय कर सकेगी।

7. ग्राम पंचायत द्वारा उक्तानुसार नियमो की पालना करते हुए पट्टा जारी करते समय ध्यान रखा जायेगा कि वह एक परिवार को अधिकतम 300 वर्गगज या वास्तविक क्षेत्रफल, इसमें से जो भी कम हो, का ही पट्टा जारी करें ।
8. ग्राम पंचायत द्वारा ऐसे किसी परिवार को पट्टा नही दिया जायेगा यदि उस ग्राम पंचायत में उस परिवार के पास पूर्व मे ही आवासीय मकान/आवासीय भूखण्ड है ।

समस्त ज़िला कलेक्टर से यह अपेक्षा है कि उपरोक्तानुसार सर्वे का कार्य तथा तहसीलदार के पास सर्वे आधारित सूचियां 15 दिवस की अवधि में तथा तहसीलदार द्वारा सेटअपार्ट के प्रस्ताव तैयार कर सक्षम अधिकारी द्वारा सेटअपार्ट की कार्यवाही किये जाने सम्बन्धित कार्य आगामी एक सप्ताह में करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

(खेमराज)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
राजस्व विभाग

3.10.2017
(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रा0 वि0 एवं पं0 राज

प्रतिलिपि:--

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार ।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पं0 राज, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, राजस्व विभाग ।
4. विशिष्ट सहायक, राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पं0 राज, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रा0वि0 एंव पं0 राज ।
6. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, राजस्व विभाग ।

3/10/2017
उप शासन सचिव(विधि)